Ref. No. CGTMSE /44/295 मार्च March 31, 2023

सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं (एमएलआई)

क्रेडिट गारंटी योजना - I (**सीजीएस** I)

All Member Lending Institutions (MLIs)

Credit Guarantee Scheme - I (CGS I)

परिपत्र संख्या 222 / 2022 – 23

Circular No.222 / 2022 – 23

महोदया/ प्रिय महोदय Madam / Dear Sir,

कानूनी कार्रवाई से छूट के लिए सीमा में वृद्धि और
एकल किस्त में दावा निपटान का विकल्प
Increase in the threshold for Waiver of Legal Action and
option for claim settlement in single instalment

कृपया 02 जनवरी 2023 के हमारे परिपत्र संख्या 215/2022-23 का संदर्भ लें, जो गारंटी मांगते समय कानूनी कार्रवाई से छूट के लिए ₹ 5 लाख की सीमा सीमा के संबंध में है। छोटे खाते के संबंध में दावा दायर करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि कुल बकाया राशि के आधार पर गारंटी को माँगते समय ₹5,00,000/- की वर्तमान सीमा के मुकाबले सीजीटीएमएसई द्वारा दावा निपटान के लिए पात्र कानूनी कार्रवाई की छूट की सीमा को ₹ 10,00,000/- प्रति दावा किया जाए।

Please refer to our Circular No. 215/ 2022-23 dated January 02, 2023 regarding the threshold limit of `5 lakh for waiver of legal action while invoking guarantee. In order to further simplify the procedure for filing claim in respect of small account, it has been decided to increase the threshold limit for waiver of legal action to `10,00,000/- per claim while invoking the guarantee based on the aggregate outstanding amount considered eligible for claim settlement by CGTMSE, as against the present limit of `5,00,000/-.

इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, दावे को 2 किस्तों में निपटाया जाता है यानी पात्रता राशि का 75% पहली किस्त के रूप में और शेष 25% पात्रता राशि दूसरी किस्त के रूप में होता है। इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि एमएलआई को उन मामलों में दावा दायर

करने के समय दावा निपटान के लिए दो विकल्प प्रदान किए जाएं जहां कानूनी कार्रवाई की छूट लागू है। उसका विवरण इस प्रकार हैं:

Further, as you are aware that as per existing process, the claim is settled in 2 instalments i.e 75% of eligibility amount as first instalment & balance 25% of eligibility amount as second instalment. In this connection, it has been decided to offer MLIs two options for claim settlement at the time of claim lodgment for cases where waiver of legal action is applicable. The details are as under:

विकल्प 1: 15% की कम गारंटी के साथ दावा निपटान की एकल किस्त। उदाहरण के लिए 75% की कवरेज की सीमा के संबंध में घटा हुआ कवरेज 60% होगा और इसी तरह 80% की कवरेज की सीमा के संबंध में यह 65% होगा।

Option 1: Single instalment of claim settlement with reduced extent of guarantee by 15%. Eg: in respect of extent of coverage of 75%, reduced coverage would be 60%, 80% would be 65% and likewise .

विकल्प 2: मौजूदा दावा निपटान प्रक्रिया दो किश्तों में अर्थात पात्रता राशि का 75% पहली किस्त के रूप में और शेष 25% दूसरी किस्त के रूप में। कानूनी छूट वाले खातों के लिए, दावे की दूसरी किस्त का निपटान पहले दावे या ओटीएस के निपटान की तारीख से तीन साल बाद या जो भी पहले हो किया जाएगा ।

Option 2: Existing claim settlement process in two instalments i.e. 75% of eligibility amount as first instalment & balance 25% as second instalment. For legal waiver accounts, second instalment of claim -would be settled after three years from the date of settlement of 1st claim or OTS whichever is earlier.

उपरोक्त संशोधन 01 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद दर्ज किए गए दावों के संबंध में लागू होगा। इसके अतिरिक्त उन खातों के संबंध में दावा निपटान की दूसरी किस्त, जहां पहले कानूनी छूट प्रदान की गई है, उपर्युक्त विकल्प 2 के तहत उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार किया जाएगा।

The above modification shall be applicable in respect of those claims lodged on or after April 01, 2023. Additionally, second instalment of claim settlement in respect of accounts where legal waiver has been granted earlier would be done as per the timelines mentioned under Option 2 above.

कृपया अपने सभी कार्यालयों को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अवगत कराएँ।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all your offices.

भवदीय Yours faithfully,

ह/Sd/-

(धीरज कुमार Dhiraj Kumar)
सहायक महाप्रबंधक
Asst General Manager